आदेश की क्रम सं0 और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

29.08.19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल
राजस्व विविध वाद सं0–01/2015–16
विनय घोष वगै0
बनाम
राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता वगै0
आदेश

आवेदक विनय घोष, पिता–स्व0 गुधा घोष, फागु घोष, पिता– स्व0 भुवन घोष, रामचन्द्र घोष, पिता– स्व0 कार्तिक घोष, सुमित्रा घोष, पिता–स्व0 बाकेश्वर घोष, मेधु सरदार, पिता–स्व0 किष्टो चन्द्र सरदार सभी सा0– विरामपुर, पो0+थाना– राधानगर, जिला–साहेबगंज के द्वारा मौजा विरामपुर न0 201, जमाबंदी न0 136 एवं 149, दाग न0 25,58,161,228,274,405,433 एवं 448 अन्तर्गत कुल रकवा 49–11–11 धूर जमीन जो अनावादी खास है के अन्तर्गत दाग न0 161 रकवा 07–17–18 धूर पोखर है, जो खास है। फलस्वरुप आवेदक द्वारा खेती कार्य हेतु पोखर के पानी का उपयोग करने देने का अनुरोध संबंधी आवेदन दाखिल किया गया है। दाखिल आवेदन का अवलोकन करने एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर दिनांक 02.07.2015 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए अंचल अधिकारी, उधवा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई तथा उभय पक्षों को कारणपृच्छा दाखिल हेतु नोटिस निर्गत की गई।

इस राजस्व विविध वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न प्रकार हैः–

मौजा	जमाबंदी न0	दाग न0	रकवा
विरामपुर	136, 149	25,58,161,228,274,405,433 एवं 488	49–11–11 धूर

आवेदक अनुपस्थित। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा विरामपुर जमाबंदी न0 135 एवं 149 दाग न0 23, 58, 151, 328, 274, 405, 433 एवं 488 कुल रकवा 49–11–11 धूर जमीन सर्वे खतियान में अनावादी खास तथा दाग न0 161 अन्तर्गत रकवा 07–17–18 धूर जमीन पोखर खास दर्ज है। इस संबंध में उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भिलेज इंक्वायरी रिर्पोट में स्पष्ट उल्लेख है कि उपरोक्त जमीन में अवस्थित पोखर के पानी का मौजा विरामपुर के ग्रामीण खेती कार्य में उपयोग करेंगें। फलस्वरुप उक्त पोखर के पानी का उपयोग आवेदकगण के साथ–साथ विरामपुर के ग्रामीण जनतागण द्वारा लगभग 85 वर्षो से शांतिपूर्ण ढंग से कृषि कार्य हेतु करते आ रहे है। उनके द्वारा यह भी स्पष्ट बतलाया गया कि विपक्षी के पिता स्व0 गोविन्द प्रसाद गुप्ता के जीवित रहते किसी भी तरह का व्यवधान उक्त पोखर के पानी को लेकर नही किये और ना ही कभी भी आपत्ति किया गया। फलस्वरूप आवेदकगण शांतिपूर्ण ढंग से उस पोखर का पानी कृषि कार्य हेतु उपयोग करते रहे हैं।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का पुनः कहना है कि विपक्षीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से कानुन को अपने हाथ में लेकर उपरोक्त सरकारी तालाब में अपना हक जमाने पर तुले है तथा तालाब का पानी का उपयोग आवेदकगण को करने नही दे रहें है, जबकि खतियानी पर्चा के दखल कॉलम में उपरोक्त सरकारी एवं खास तालाब का दखल मधु घोष को दर्शाया गया है, जो आवेदक के दादा है।

अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण को उक्त वर्णित पोखर से

Scanned with CamScanner

कृषि कार्य के लिए पानी लेने का आदेश हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण के द्वारा अपने समर्थन में किसी भी प्रकार का लिखत बहस या कागजात दाखिल नही किया है।

अंचल अधिकारी, उधवा से जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त।

उपरोक्त तमाम् स्थिति एवं परिस्थिति पर सम्यक विचारोपरांत एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 36 में यह स्पष्ट है कि सरकारी पोखर/जलकर/तालाब इत्यादि का सार्वजनिक इस्तेमाल ही हो सकता है। कोई भी पक्ष इनकी स्थायी बन्दोबस्ती नहीं कर सकती है। फलस्वरूप द्वितीय पक्ष को यह आदेश दिया जाता है कि सरकारी पोखर को सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
राजमहल।

Scanned with CamScanner